रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1972/चैत्र 2, 1894
No. 162] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1972/CHAITRA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

आय-कर

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

का० आ० 225(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971/9 पौष, 1893, (शक) के भाग 11, खंड 3(ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं० का० आ० 5595 में निम्नलिखित संशोधन किये जाएं :—

(1) पृष्ठ सं० 3520 पर, पृष्ठ के आरम्भ से बारहवीं पंक्ति में 'आयकर' शब्द के पश्चात् कोष्ठक प्रारम्भ का चिन्ह पढ़ा [( ] जाएगा ।

(2) उसी पृष्ठ पर 22वीं पंक्ति के अन्तिम शब्द "करेंगे जिन्ह" को "करेंगे जिन्हें" पढ़ा जाएगा ।

(3) उसी पृष्ठ पर 27वीं पंक्ति के अन्तिम शब्द से पहले "की" के स्थान पर "को" पढ़ा जाएगा ।

(4) उसी पृष्ठ पर 28वीं तथा 29वीं पंक्ति के अन्तिम शब्दों "के खंड" तथा "उपदर्शित" को क्रमश. "के खंड" तथा 'उपदर्शित" पढ़ा जाएगा ।

(5) उसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति "रिति" शब्द को "रीति" पढ़ा जाएगा।

(6) पृष्ठ 3521 पर ऊपर से चौथी पंक्ति में "व्यक्ति" शब्द को "व्यष्टि" पढ़ा जाएगा।

(7) उसी पृष्ठ पर ऊपर से आठवीं पंक्ति के दूसरे शब्द "अभिक्त" को "अविभक्त" पढ़ा जाएगा।

(8) उसी पृष्ठ पर ऊपर से दसवीं पंक्ति के प्रथम शब्द "कुटम्ब" को "कुटुम्ब" पढ़ा जाएगा

(9) उसी पृष्ठ पर अन्तिम पंक्ति के "जानबमकर" तथा "अनचित" शब्दों को क्रमश: "जानबूझकर" तथा "अनुचित" पढ़ा जाएगा।

(10) पृष्ठ 3522 पर ऊपर से चौथी पंक्ति में "व्यक्तिकर्मी" शब्द के स्थान पर "व्यतिक्रमी" पढ़ा जाएगा।

(11) पृष्ठ 3523 पर ऊपर से चौदहवीं पंक्ति में "सचनायें" शब्द के स्थान पर "सूचनायें" पढ़ा जाएगा।

(12) उसी पृष्ठ के निम्न भाग में दिये गये टिप्पण की प्रथम पंक्ति में "उसके" को "उससे" तथा दूसरी पंक्ति के "आरम्भ में आ० का० प्र०" को "आ० क० प्र०" पढ़ा जाएगा।

(13) पृष्ठ सं० 3524 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति में "संलग्न" शब्द के स्थान पर "संलग्नक" पढ़ा जाएगा।

[सं० 62/फा० सं० 142(39)/71-टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला, सचिव।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROA
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 19